

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 55/2023

अनवान : -

1. मदनलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 1 आरपीएम शिवपुरा तहसील नोहर।
- वादी

बनाम

1. गुरनाम कौर पुत्री खेम सिंह जाति रायसिख निवासी शिवपुरा तहसील नोहर।
2. बलराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
3. बलवीर पुत्र खेमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
4. बंशीकौर पुत्री खेमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
5. श्रवण कौर पुत्री खेमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
6. सतनाम पुत्र खेमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
7. सोमा बाई पुत्री खेमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

-असल प्रतिवादीगण

10. आत्माराम पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 1 आरपीएम शिवपुरा तहसील नोहर।

-तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: -16/01/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 64/19 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 10 ने वाद भूमि खरीद की है तथा प0न0 307/384(88) के किला न0 4, 5, 6, 15, 16, 23, 24 की भूमि में काबिज है एवं काश्त करते आ रहे हैं। वादी व तरतीबी प्रतिवादी ने अपने कब्जा काश्त की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए हक हिस्सा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 64/19 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त हिसाब से मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स० 64/19 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- आत्माराम, मदनलाल पि० बृजलाल बहिब जाति जाट सा० 1 आरपीएम खातेदार रहन मदनलाल हि० आईसीआईसीआई बैंक जसाना मूर्त— प०न० 307/384 के मु०न० 88 के किला न० 4/1 की 0.025 हैक्ट, 4/2/1 की 0.189 हैक्ट, 5/1 की 0.026 हैक्ट, 5/2 की 0.227 हैक्ट, 6-15 की 0.506 हैक्ट, 16/1 की 0.252 हैक्ट, 16/2 की 0.001 रास्ता, 23/2 की 0.169 हैक्ट, 24 की 0.253 हैक्ट कुल 1.648 हैक्ट, नहरी— 1.596 हैक्ट, रास्ता— 0.052 हैक्ट
- बलराम पुत्र नानुराम जाति जाट सा० 1 आरपीएम खातेदार— प०न० 307/384 के मु०न० 88 के किला न० 3/1/2 की 0.016 हैक्ट, 3/2/2 की 0.152 हैक्ट कुल 0.168 हैक्ट, नहरी— 0.152 हैक्ट, रास्ता 0.016 हैक्ट
- बलवीर, सतनाम, गुरनाम कौर, श्रवण कौर बहिब 1.664 हैक्ट, बंशीकौर 0.151 हैक्ट, सोमाबाई 0.164 हैक्ट पुत्र व पुत्रीया खेमासिंह जाति रायसिख सा० 1 आरपीएम खातेदार— प०न० 307/384 के मु०न० 88 के किला न० 3/1/1 की 0.009 हैक्ट, 3/2/1 की 0.076 हैक्ट, 4/2/2 की 0.039 हैक्ट, 7-8-13-14 की 1.012 हैक्ट, 17/1 की 0.252 हैक्ट, 17/2 की 0.001 हैक्ट रास्ता, 18 की 0.253, 23/1 की 0.084 हैक्ट, 25 की 0.253 हैक्ट कुल 1.979 हैक्ट नहरी—1.969 हैक्ट गै०मु० रास्ता—0.010 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 55/2023

अनवान : -

1. मदनलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 1 आरपीएम शिवपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. गुरनाम कौर पुत्री खेम सिंह जाति रायसिख निवासी शिवपुरा तहसील नोहर।
2. बलराम पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
3. बलवीर पुत्र खेमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
4. बंशीकौर पुत्री खेमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
5. श्रवण कौर पुत्री खेमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
6. सतनाम पुत्र खेमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
7. सोमा बाई पुत्री खेमसिंह जाति रायसिख निवासी 1 आरपीएम तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

-असल प्रतिवादीगण

10. आत्माराम पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 1 आरपीएम शिवपुरा तहसील नोहर।

-तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 55 सन 2023 निर्णय दिनांक 16/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के खाता स0 64/19 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

- आत्माराम, मदनलाल पि0 बृजलाल बहिब जाति जाट सा0 1 आरपीएम खातेदार रहन मदनलाल हि0 आईसीआईसीआई बैंक जसाना मूर्त- प0न0 307/384 के मु0न0 88 के किला न0 4/1 की 0.025 हैक्ट, 4/2/1 की 0.189 हैक्ट, 5/1 की 0.026 हैक्ट, 5/2 की 0.227 हैक्ट, 6-15 की 0.506 हैक्ट, 16/1 की 0.252 हैक्ट, 16/2 की 0.001 रास्ता, 23/2 की 0.169 हैक्ट, 24 की 0.253 हैक्ट कुल 1.648 हैक्ट, नहरी- 1.596 हैक्ट, रास्ता- 0.052 हैक्ट
- बलराम पुत्र नानुराम जाति जाट सा0 1 आरपीएम खातेदार- प0न0 307/384 के मु0न0 88 के किला न0 3/1/2 की 0.016 हैक्ट, 3/2/2 की 0.152 हैक्ट कुल 0.168 हैक्ट, नहरी- 0.152 हैक्ट, रास्ता 0.016 हैक्ट
- बलवीर, सतनाम, गुरनाम कौर, श्रवण कौर बहिब 1.664 हैक्ट, बंशीकौर 0.151 हैक्ट, सोमाबाई 0.164 हैक्ट पुत्र व पुत्रीया खेमसिंह जाति रायसिख सा0 1 आरपीएम खातेदार- प0न0 307/384 के मु0न0 88 के किला न0 3/1/1 की 0.009 हैक्ट, 3/2/1 की 0.076 हैक्ट, 4/2/2 की 0.039 हैक्ट, 7-8-13-14 की 1.012 हैक्ट, 17/1 की 0.252 हैक्ट, 17/2 की 0.001 हैक्ट रास्ता, 18 की 0.253, 23/1 की 0.084 हैक्ट, 25 की 0.253 हैक्ट कुल 1.979 हैक्ट नहरी-1.969 हैक्ट गै0मु0 रास्ता-0.010 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर